न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :21/2019

1. सोहन सिह पुत्र बारा सिह जाति रामगढिया सिख निवासी चक अरायण तहसील श्री करणपुर।

—वादी—

बनाम

1. छिन्द्र सिह उर्फ माणा पुत्र गुरदेव सिह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
2. महेन्द्र सिह उर्फ भुट्टो पुत्र गुरदेव सिह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
3. कुलदीप सिह पुत्र मल सिह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
4. हरदीप सिह पुत्र मल सिह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
5. वकील सिह पुत्र छिन्द्र सिह उर्फ माणा जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
6. गुरमीत सिह पुत्र महेन्द्र सिह उर्फ भुट्टो जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

--प्रतिवादीगण-

वादी की ओर सेः- **श्री अशोक जोशी अधिवक्ता**

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 :- **एकपक्षीय कार्यवाही**

प्रतिवादी संख्या 7 :- **राजपैरोकार**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,91 आरटीए

--निर्णय-- **दिनांक : 23.12.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2034 ता 37 के खाता संख्या 47 के मु.न. 39 व 40 की कुल 19 बीघा 12 बिस्वा नहरी भूमि में से 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के दादा फुमण सिह पुत्र चुहड सिह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण के दादा चूहड सिह का देहान्त आज से करीबन 45 वर्ष पूर्व हो चुका है। फूमन सिह की मृत्यू उपरान्त उसके नाम दर्ज उक्त भूमि उसके वारिसो भाग सिह, गुरदेव सिह व अमर सिह को प्राप्त हुईं। फुमण सिह की मृत्यू के पश्चात गुरदेव सिह आदि के परिवार आर्थिक तौर बदहाली के कगार पर पहुंच गये तथा इनके परिवार के जीवन निर्वाह पर संकट आ गया। इसलिये उक्त तीनो भाईयो में से अप्रार्थीगण के पिता व दादा गुरदेव सिह ने अपने हिस्सा की मु.न. 31 के किला न. 20 सालम भुमि का बेचान राशि 5000/- रुपए में मुझ प्रार्थी के पक्ष में जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.01.1979 को कर दिया एंव कब्जा आराजी मय पानी मुझ प्रार्थी को संभला दिया। खरीद की दिनांक से वादी साधिकार उक्त खरीद शुदा भुमि पर निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चले आ रहा है। प्रार्थी ने बैयनामा दिनाक 10.01. 1979 की प्रति राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल प्रार्थी के नाम दर्ज करने के लिए तत्कालीन पटवारी को प्रस्तुत कर निवेदन किया, जिस पर पटवारी हलका ने विश्वास दिलाया कि पहले फुमण सिह का विरास्तन इन्तकाल दर्ज कर शीघ्र ही वह बैयनामा के आधार पर प्रार्थी के नाम इन्तकाल दर्ज कर देगा। उसके बाद आज तक उक्त वादगत भूमि पर प्रार्थी के परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। गुरदेव सिह की मृत्यू करीबन 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। आज से 5 रोज पूर्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 प्रार्थी के पास आए तथा ऐलानिया कहा कि वे इस भूमि पर जबरन कब्जा करेगें। अथवा अन्यत्र व्यक्ति को बेचान कर देगे। इस पर प्रार्थी ने राजस्व अभिलेख की प्रतियां प्राप्त की और पाया कि राजस्व पटवारी द्वारा आज तक भी फुमण सिह की मृत्यू उपरान्त विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही किया। और ना ही प्रार्थी के बैयनामा के आधार पर खरीद का इन्तकाल दर्ज किया है। यदि प्रतिवादीगण वादगत भूमि का अन्यत्र व्यक्ति को बेचान कर देगे तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। और वादी को खरीदशुदा भूमि से वंचित होना पडेगा। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। प्रतिवादीगण चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 18/17 के मु.न. 31 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 13, किला न. 17 ता 20 सालम-सालम किला न. 21 ता 24 प्रत्येक 0.228 हैक्टर कुल 4.201 हैक्टर नहरी भूमि तथा मु.न. 40 के किला न. 1 व 3 सालम-सालम, किला न. 2/2 की 0.127 हैक्टर कुल 0.633 हैक्टर नहरी दोनो मुरब्बो की कुल 4.834 हैक्टर नहरी भूमि में से फुमण सिह के हिस्सा की 0.806 हैक्टर भूमि में से गुरदेव सिह पुत्र फुमण सिह के हिस्सा की 1 बीघा भूमि जो वादी द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 10.01.1979

के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर बैयनामा के आधार पर यह भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश फरमावे। व वादगत भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे। अन्य कोई अनुतोष हो तो वादी को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बाद तामील उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गईं। जवाब स्टेट पेश नही करने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया। साक्ष्यवादी में गवाह सोहन सिंह के बयान लिखे गए व चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2034 ता 37 के खाता संख्या 48 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1, चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 18/17 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-2, किला के बेचान नामा की मूल बैयनामा प्रदर्श-3 जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 3ए , प्रदर्शित करवायी प्रदर्श 3ए में एक्स स्थान पर गुरदेव सिंह का अगूठा निशान, व वाई स्थान पर गवाह सुन्दर सिंह पुत्र बुटा सिंह का अगूठा निशान व जैड स्थान पर गवाह प्यारा सिंह पुत्र बूटा सिंह का अगूठा निशान लगा हुआ है। वादी के नाम की पानी की पर्चिया प्रदर्श 4 ता 7 प्रदर्शित करवायी । चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 19/18 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-8 प्रदर्शित करवायी। साक्ष्यवादी बन्द की गई।

एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 18/17 के मु.न. 31 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 13, किला न. 17 ता 20 सालम-सालम किला न. 21 ता 24 प्रत्येक 0.228 हैक्टर कुल 4.201 हैक्टर नहरी भूमि तथा मु.न. 40 के किला न. 1 व 3 सालम-सालम, किला न. 2/2 की 0.127 हैक्टर कुल 0.633 हैक्टर नहरी दोनो मुरब्बो की कुल 4.834 हैक्टर नहरी भूमि में से फुमण सिह के हिस्सा की 0.806 हैक्टर भूमि में से गुरदेव सिह पुत्र फुमण सिह के हिस्सा की 1 बीघा (मु.न. 31 के किला न. 20 की 0.253 हैक्टर भूमि) भूमि जो प्रार्थी द्वारा जरिये बैयनामा दिनाक 10.01.1979 के आधार पर खातेदार घोषित किए जाने बाबत एव इस खरीद किए गए 1 बीघा भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। सभी प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। पत्रावली में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। साक्ष्य वादी में गवाह ने इस भूमि के सम्बन्ध में जमाबन्दिया, बैयनामा की प्रति, एवं पानी की पर्चिया, प्रदर्शित करवायी है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 18/17 के मु.न. 31, 40 की कुल 4.834 हैक्टर नहरी भूमि में फुमण सिंह पुत्र चुहड सिंह के नाम दर्ज 0.806 हेक्टर भूमि में से 0.253 हैक्टर भूमि कलमजन की जाकर गुरदेव सिंह पुत्र फुमण सिंह के हिस्सा की 1 बीघा अर्थात इस 0.253 हैक्टर भूमि का प्रदर्श 3ए बैयनामा दिनांक 10.01.1979 के आधार पर वादी सोहन सिंह पुत्र बारा सिंह जाति रामगढिया निवासी अरायण को खातेदार घोषित किया जाता है। एवं इस भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वादी के इस 0.253 हैक्टर भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2019.12.23 15:04:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: